विधानसभा अता०प्र०क्र० 4468 [23/3/2022]
परिशिष्ट - अ

कार्यालय कलेक्टर जिला रतलाम म0प्र0

प्रश्न सं. [क्र. 4468]

क्रमांक 2025/विकास-स्था./2022, रतलाम, दिनांक 03-03-2022

प्रति,

प्रमुख सचिव,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
म.प्र.शासन, भोपाल

विषयः- श्री आर.बी.एस. दण्डोतिया, सेवा निवृत्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पिपलौदा जिला रतलाम के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता परिलक्षित होने से अनुशासनात्मक कार्यवाही बाबत।

सन्दर्भः- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जावरा का पत्र क्रमांक 653/संबल/2021-22, जावरा, दिनांक 02.03.2022

--00--

विषयान्तर्गत अनुरोध है कि जनपद पंचायत जावरा अंतर्गत संबल योजना हेतु वर्ष 2019 में 03 हितग्राहियों की अनुगृह सहायता राशि शासन से नामजद प्राप्त होने के बावजूद अन्य पात्र हितग्राहियों को भुगतान किये जाने से हुई वित्तीय लापरवाही के कारण सी.एम. हेल्पलाईन समाधान में शिकायत क्रमांक 1174887 पंजीबद्ध होने के फलस्वरूप वर्तमान मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जावरा व्दारा संदर्भित पत्र से निम्न कारणों से भुगतान किया जाना प्रतिवेदित किया गया है:-

1- शासन स्तर से दिसंबर 2019 के पूर्व निरंतर अनुगृह सहायता राशि सीधे जनपद पंचायत के एकल खाते में प्राप्त होती थी । जिसके आधार पर हितग्राहियों का भुगतान किया जाता था।

2- वर्तमान मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जावरा के प्रतिवेदन अनुसार दि. 10.01.19 से 14.01.19 के मध्य स्वीकृत 11 प्रकरणों में अनुगृह सहायता राशि हेतु पात्र हितग्राही की कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1406/संबल/2019 जावरा, दिनांक 14.08.2019 को श्रम पदाधिकारी रतलाम एवं सचिव, असंगठित कर्मकार मण्डल भोपाल को मांग प्रपत्र भेजा गया था।

3- शासन स्तर से दिनांक 25.10.2019 को संबल श्रमिक क्रमशः 01- लोकेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम पंचायत केरवासा, 02- भेंवरलाल निवासी ग्राम आक्याबेनी, 03- कैलाश बाई निवासी ग्राम पंचायत बर्डियागोयल इन तीनों हितग्राहियों के नाम से राशि जारी हुई जो जनपद पंचायत जावरा के एकल खाते में जमा हुई थी, किन्तु इसकी सूचना वरिष्ठालय से प्राप्त होने से भुगतान हितग्राहियों को नहीं किया जा सका। जिसके कारण जनपद के एकल खाते में रू. 6,00,000/- संबल योजना की राशि उपलब्ध होनें से निर्वाही सहायक व्दारा भेजी गई 11 पात्र हितग्राहियों में से वरिष्ठता कम के आधार पर पात्र 03 हितग्राहियों के भुगतान हेतु प्रकरण प्रस्तुत किये गये, जिसका तात्कालिन मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सेवा निवृत्त) श्री आर.बी.एस. दण्डोतिया व्दारा भुगतान किया गया ।4- वर्तमान में तात्कालिन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जावरा श्री आर.बी.एस. दण्डोतिया दिनांक 31.01.2022 को सेवा निवृत्त हो चुके है।

-- निरन्तर-2-

-1-

यहॉ यह उल्लेखनीय है कि संबल योजनांतर्गत उक्त अनियमित अनुगृह राशि वितरण के संबंध में शाखा लिपिक श्री राजीव कुमार आर्य, सहा.वर्ग–2 जनपद पंचायत जावरा को कार्यालयीन आदेश कमांक 647/जावरा, दिनांक 02.03.2022 व्दारा निलंबित किया जा चुका है।

अतएव प्रकरण में उक्त वित्तीय लापरवाही एवं अनियमित भुगतान के संबंध में श्री आर. बी.एस. दण्डोतिया, सेवा निवृत्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जावरा जिला रतलाम के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव सादर प्रस्तुत है ।

संलग्नः– उक्तानुसार

कलेक्टर
जिला रतलाम म.प्र.

पृ0कमांक / 2026 /विकास–स्था./2022, रतलाम, दिनांक 03–03–2022
प्रतिलिपिः–

1– विकास आयुक्त, विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल म.प्र. ।
2– संभागीय आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन ।
3– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रतलाम ।

कलेक्टर
जिला रतलाम म.प्र.